



Neutral Citation No.2026:AHC-LKO:21506

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका सं. - 313 वर्ष 2025

मास्टर अम्मू वर्मा द्वारा उसकी माता श्रीमती अनुपमा गौतम

..... याची (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह लखनऊ,
एवं 5 अन्य

..... प्रत्युत्तरदाता (गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : अस्करी हुसैन

प्रत्युत्तरदाता (गण) के अधिवक्ता : शा.अ., देश राज सिंह, कुंवर सुशांत प्रकाश

न्यायालय सं. -14

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याची के विद्वान् अधिवक्ता श्री अस्करी हुसैन, उ. प्र. राज्य की ओर से विद्वान् अ.शा.अ.-I

श्री योगेश कुमार सिंह, और विरोधी पक्षकार सं. 3 के विद्वान् अधिवक्ता श्री बज़ हुल कमर

सिद्दीकी को सुना।

2. प्रस्तुत रिट याचिका, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की मांग करते हुए, मास्टर अम्मू

वर्मा, आयु 2 वर्ष, पुत्र श्री अजय कीर्ति वर्मा द्वारा अपनी माता श्रीमती अनुपमा गौतम के

माध्यम से, यह अभिकथन करते हुए दाखिल की गई है कि अप्राप्तवय याची को उसके पिता

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अजय कीर्ति वर्मा, विरोधी पक्षकार सं. 3 द्वारा अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है। रिट याचिका में कहा गया है कि श्रीमती अनुपमा गौतम ने विरोधी पक्षकार सं. 3 - अजय कीर्ति वर्मा से दिनांक 26.02.2020 को विवाह किया था। याची अपनी माता के साथ दिनांक 24.07.2025 तक रह रहा था, इसी दिनांक को विरोधी पक्षकार सं. 3, बच्चे को उसकी माता की अभिरक्षा से, जो कि बच्चे की स्वाभाविक संरक्षिका हैं, बलपूर्वक ले गया था।

3. इस संबंध में, धारा 333, 152(2), 352, 351(2), भा.न्या.सं., 2023 के अधीन, पुलिस थाना तालकटोरा, जिला लखनऊ पश्चिम (कमिश्नरेट लखनऊ) में, विरोधी पक्षकार सं. 3 एवं तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्र.सू.रि. सं. 152/2025 दर्ज की गई है।

4. पक्षकारों के बीच के विवाद एक आदेश को दिनांक 03.09.2025 के माध्यम से इस न्यायालय के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र को निर्दिष्ट किए गए थे। मध्यस्थता केंद्र ने यह कथन करते हुए एक रिपोर्ट दिनांक 31.10.2025 प्रस्तुत की है, कि मध्यस्थता कार्यवाहियां पूरी हो चुकी हैं, किंतु पक्षकार किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके हैं।

5. तत्पश्चात् विरोधी पक्षकार सं. 3 ने, एक प्रति याची के अधिवक्ता को तामील करवाते हुए, एक प्रति शपथपत्र दिनांक 05.01.2026 दाखिल किया था। इस प्रति शपथपत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया है कि बच्चे के माता-पिता के विवाह-बंधन से दो बच्चे पैदा हुए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



थे, किन्तु बच्चे की माता द्वारा दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में पक्षकारों के दूसरे बच्चे के अस्तित्व का प्रकटन नहीं है। प्रति शपथपत्र में कहा गया है कि विरोधी पक्षकार सं. 3 ने 30.06.2025 को बैंक से रु. 7,70,000/- की नकद राशि आहरित की थी, और बच्चे की माता यह नकद राशि और गहने लेकर भाग गई थी, जिसके संबंध में विरोधी पक्षकार सं. 3 ने 01.07.2025 को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने बच्चे की माता के मोबाइल की लोकेशन नैनीताल में ट्रैक की थी। पुलिस वहां गई और बच्चे की माता के कब्जे से गुम हुई वस्तुएं बरामद कर ली थीं। तत्पश्चात्, पक्षकारों ने महिला आयोग के समक्ष एक समझौता दिनांक 10.07.2025 किया था, जिसमें उन्होंने सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रीति से रहने पर सहमति व्यक्त की थी।

6. 15.07.2025 को, बच्चे की माता एक लिखित घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद, तीन दिन की अवधि के लिए अपने पुत्र को अपने साथ ले गई थी, किन्तु तत्पश्चात् वह घर वापस नहीं लौटी थी। प्रति शपथपत्र में कहा गया है कि जब बच्चे की माता ने पक्षकारों के पुत्र को वापस नहीं किया था, तो विरोधी पक्षकार सं. 3 ने पुलिस से संपर्क किया था। पुलिस के हस्तक्षेप से, माता ने 24.07.2025 को पुत्र की अभिरक्षा विरोधी पक्षकार सं. 3 को वापस सौंप दी थी, और उसके बाद उसने मिथ्या आरोपों के आधार पर यह रिट याचिका दाखिल की है। विरोधी पक्षकार सं. 3 ने पुलिस थाना, पारा, जिला लखनऊ पश्चिम (कमिश्नरेट लखनऊ) में अनुपमा गौतम एवं 4

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 191(2), 115(2), 352 एवं 351(3), भा.न्या.सं., 2023 के अधीन अपराधों के लिए प्र.सू.रि. सं. 780/2025 दर्ज कराई है।

7. याची ने प्रति शपथपत्र में किए गए दावों की सत्यता को चुनौती देते हुए कोई प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल नहीं किया है।

8. उपर्युक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच गंभीर विवाद हैं। पक्षकारों की एक पुत्री आयु 5 वर्ष और एक पुत्र आयु 2.5 वर्ष है। पुत्री स्वीकृत रूप से अपने पिता, विरोधी पक्षकार सं. 3 के साथ रह रही है, और बच्चों की माता ने रिट याचिका में इस तथ्य का प्रकटन नहीं किया है, और न ही उसने पुत्री की अभिरक्षा का दावा करने के लिए कोई प्रयास किया है।

9. रिट याचिका और प्रति शपथपत्र में पक्षकारों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप अधिरोपित किए हैं। यद्यपि, रिट याचिका में अधिरोपित आरोपों का खंडन विरोधी पक्षकार सं. 3 द्वारा दाखिल प्रति शपथपत्र में किया गया है, किन्तु प्रति शपथपत्र में अधिरोपित आरोपों का खंडन याची ने प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करके नहीं किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. बच्चों की अभिरक्षा एक जटिल विवादक है, जिसका विनिश्चय बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। बच्चों के कल्याण का विनिश्चय, पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए जाने के पश्चात् किया जा सकता है।

11. तेजस्विनी गौड़ बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी: (2019) 7 एस सी सी 42 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बिंदु पर विभिन्न पूर्व-निर्णयों पर विचार किया था और निर्णय किया है कि:

"19. बंदी प्रत्यक्षीकरण की कार्यवाही अभिरक्षा की वैधता को न्यायोचित ठहराने या उसकी परीक्षा करना नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की कार्यवाही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे की अभिरक्षा का मामला न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार रिट है जो एक असाधारण उपचार है, और यह रिट केवल तभी जारी की जाती है जब किसी विशेष मामले की परिस्थितियों में, विधि द्वारा प्रदान किया गया सामान्य उपचार या तो उपलब्ध नहीं है या अप्रभावी है, अन्यथा रिट जारी नहीं की जाएगी। बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित मामलों में, रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति केवल उन मामलों तक सीमित है जहां किसी अप्राप्तवय को ऐसे व्यक्ति द्वारा अभिरक्षा में रखा गया हो जो उसकी विधिक अभिरक्षा के लिए अधिकृत नहीं है। इस विवादक पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की गई घोषणाओं की दृष्टि से, हमारी राय में, बच्चे की अभिरक्षा के मामलों में, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट तभी पोषणाय है जब यह साबित हो जाता है कि किसी माता-पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा अप्राप्तवय बच्चे को अभिरक्षा में रखना अवैध था और विधि के किसी भी प्राधिकार के बिना किया गया था।

20. बच्चे की अभिरक्षा के मामलों में, सामान्य उपचार केवल हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम या संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, यथास्थिति, के अधीन ही उपलब्ध है। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के अधीन होने वाली कार्यवाहियों से उत्पन्न होने वाले मामलों में, न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस बात से निर्धारित होता है कि क्या अप्राप्तवय सामान्यतः उस क्षेत्र के भीतर रहता है जिस पर न्यायालय ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के अधीन की जाने वाली जांच और रिट न्यायालय द्वारा शक्तियों के, जो संक्षिप्त प्रकृति की होती हैं, प्रयोग के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। जो महत्वपूर्ण है, वह बच्चे का कल्याण है। रिट न्यायालय में, अधिकारों का निर्धारण केवल शपथपत्रों के आधार पर किया जाता है। जहां न्यायालय का विचार है कि विस्तृत जांच अपेक्षित है, वहां न्यायालय अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इन्कार कर सकता है, और संबंधित पक्षकारों को सिविल न्यायालय में जाने का निदेश दे सकता है। ऐसा केवल असाधारण मामलों में ही होता

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



है, अप्राप्तवय की अभिरक्षा के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण, बंदी

प्रत्यक्षीकरण याचिका पर असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए किया जाएगा।"

12. उपर्युक्त दृष्टिकोण का, निर्मला बनाम कुलवंत सिंह: (2024) 10 एस सी सी 595 में अनुसरण

किया गया है और दोहराया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अग्रेतर निर्णित

किया है कि:-

"27. ... जहां तक किसी अप्राप्तवय बच्चे की अभिरक्षा के मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण

याचिका की पोषणीयता का संबंध है, कोई कठोर और निश्चित नियम प्रतिपादित नहीं

किया जा सकता है। इस बात का, कि क्या रिट न्यायालय को भारत के संविधान के

अनुच्छेद 226 के अधीन अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए या

नहीं, प्रत्येक वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।"

13. विरोधी पक्षकार सं. 3 के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विरोधी पक्षकार सं. 3

ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अधीन, अजय कीर्ति वर्मा बनाम श्रीमती अनुपमा

गौतम, के शीर्षक से एक वाद, सं. 2778/2025 दाखिल किया है। यह वाद अपर प्रधान

न्यायाधीश-IV, परिवार न्यायालय, लखनऊ के न्यायालय में लंबित है, और इस मामले में अगली

सुनवाई की दिनांक 20.04.2026 नियत है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



14. याची के विद्वान् अधिवक्ता कहते हैं कि याची को उपर्युक्त वाद का समन प्राप्त नहीं हुआ है।

15. उपर्युक्त उल्लिखित वाद के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह उपयुक्त होगा कि अभिरक्षा से संबंधित विवादक का निर्णय भी या तो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 26 के अधीन, उस वाद में ही कर दिया जाए जो पहले से लंबित है, अथवा याची परिवार न्यायालय के समक्ष कोई अन्य उपयुक्त कार्यवाही दाखिल कर सकता है, और बच्चों के कल्याण से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय साक्ष्य लिए बिना नहीं किया जा सकता है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का विनिश्चय करते समय, इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है।

16. पिछली दिनांक को, इस न्यायालय ने, विरोधी पक्ष संख्या 3 द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई कुछ आपत्तिजनक सामग्री के संबंध में, साइबर सेल से एक रिपोर्ट मांगी थी। विद्वान् अ.शा.अ. ने बताया है कि वह आपत्तिजनक सामग्री हटा दी गई है और इस मामले में अग्रेतर अन्वेषण चल रहा है। वर्तमान रिट याचिका की व्याप्ति अप्राप्तवय याची की अभिरक्षा से संबंधित थी और यदि याची का कोई अन्य व्यथा है, तो वह विधि की प्रक्रिया का आश्रय लेकर उसका निवारण प्राप्त कर सकती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



17. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि से, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की मांग करने वाली यह रिट याचिका, पक्षकारों को उपयुक्त कार्यवाही में परिवार न्यायालय द्वारा अप्राप्तवय याची की अभिरक्षा का विवादक न्यायनिर्णीत करवाने की स्वतंत्रता देते हुए **खारिज** की जाती है।

(सुभाष विद्यार्थी, न्यायाधीश)

मार्च 25, 2026

प्रदीप/-

Translated Version. Not for Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”